हिमाचल प्रदेश नाट्य प्रदर्शन अधिनियम, 1964

धाराओं का कम

धाराएं :

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारम्भ।
2. परिभाषाएं।
3. आक्षेपणीय प्रदर्शनों को प्रतिषिद्व करने की शक्ति।
4. आक्षेपणीय प्रदर्शनों को अस्थाई रूप से प्रतिषिद्व करने की शक्ति।
5. प्रतिषेध के आदेश की तामील।
6. आदेश की अवज्ञा करने के लिए शास्ति।
7. प्रतिषेध की अवज्ञा करने के लिए शास्ति।
8. जानकारी मांगने की शास्ति।
9. नाटक आदि की प्रति या सार मांगने की शक्ति।
10. न्यायिक आयुक्त के न्यायालय में अपील ।
11. अन्य विधियों के अधीन अभियोजन की व्यावृत्ति।
12. सदभावपूर्वक की गई कार्रवाई के लिए परि़त्राण।
13. नियम बनाने की शक्ति।
14. 1876 के केन्द्रीय अधिनियम सं0 19 का निरसन।
15. व्यावृत्ति।

हिमाचल प्रदेश नाट्य प्रदर्शन अधिनियम, 1964

(1964. का. अधिनियम, संख्यांक 4)[1]

(राज्यपाल महोदय द्वारा तारीख 26 जनवरी, 1986 को अधिप्रमाणित किया गया और राजपत्र, (असाधारण) हिमाचल प्रदेश में तारीख 07 जून, 1986 को पृष्ठ संख्या 985 से 989 पर प्रकाशित किया गया।)

लोक नाट्य प्रदर्शन के बेहतर नियन्त्रण के लिए उपबन्ध करने के लिए अधिनियम।

यह समीचीन है कि हिमाचल प्रदेश राज्य में लोक नाटय प्रदर्शनों के अधिक अच्छे नियन्त्रण के लिए उपबन्ध किया जाए;

भारत गणराज्य के पन्द्रहवें वर्ष में निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित होः

1. **संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारम्भ.**—(1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश नाटय प्रदर्शन अधिनियम, 1964 है।

(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण हिमाचल प्रदेश राज्य पर है।

(3) यह ऐसी तारीख को प्रवृत्त होगा जो राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा, इस सम्बन्ध में नियत करे।

2. **परिभाषाएं.**—इस अधिनियम में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,—

(1) "आक्षेपणीय प्रदर्शन" से कोई ऐसा खेल, मूकाभिनय या अन्य नाटक अभिप्रेत है—

(i) जिससे किसी व्यक्ति को, भारत में या उसके किसी राज्य में विधि द्वारा स्थापित सरकार या किसी क्षेत्र में उसके प्राधिकार को उलटने या जर्जरित करने के प्रयोजन के लिए, हिंसा या अभिध्वंस का सहारा लेने के लिए उद्दीप्त किए जाने की संभावना हो; या

(ii) जिससे किसी व्यक्ति की हत्या, अभिध्वंस या हिंसा को अन्तर्वलित करने वाला कोई अपराध करने के किए उद्दीप्त किए जाने की संभावना हो; या

(iii) जिससे संघ के किसी सशस्त्र बल. या पुलिस बल के किसी सदस्य को उसकी राजनिष्ठा या उसके कर्त्तव्य से विचलित किए जाने की या ऐसे किसी बल में सेवा करने के लिए भर्ती करने पर प्रतिकूल प्रभाव डाले जाने की या किसी ऐसे बल के अनुशासन पर प्रतिकूल प्रभाव डाले जाने को संभावना हो; या

(iv) जिससे भारत के नागरिकों के किसी एक भाग को भारत के नागरिकों के किसी अन्य भाग के विरूद्ध हिंसा की कार्रवाई करने के लिए उद्दीप्त किए जाने की सम्भावना हो; या

———————————

1. **पाद टिप्पणीः**— चूँकि अधिनियम राजभाषा में 26 जनवरी, 1986 को राज्यपाल महोदय द्वारा अधिप्रमाणित किया गया था इसलिए उद्देश्यों और कारणों का कथन उल्लिखित करना बांछनीय नहीं है इसे राजपत्र हिमाचल प्रदेश (असाधारण) में 07 जून, 1986 को पृष्ठ संख्या 985 से 989 पर प्रकाशित किया गया। अधिप्रमाण के समय अंग्रेजी में उल्लिखित संशोधन सम्मिलित कर लिए गए थे।

(v) जो भारत के नागरिकों के किसी वर्ग के धर्म या धार्मिक भावनाओं के अपमान द्वारा या ईशनिन्दा द्वारा या अपवित्र करने के द्वारा उस वर्ग की धार्मिक भावनाओं को आहत करने के लिए जानबूझ कर आशयित है; या

(vi) जो घोर अशिष्ट है, या. गन्दा या अश्लील है या भयादोहन के लिए आशयित है:

स्पष्टीकरण (1):—कोई प्रदर्शन केवल इसी कारण से आक्षेपणीय नहीं समझा जाएगा कि उसके दौरान ऐसे शब्द उच्चारित, या ऐसे संकेत या दृष्य अभिनय किए जाते हैं जिसमें किसी विधि या सरकार की किसी नीति या प्रशासनिक कार्रवाई के प्रति अननुमोदन या आलोचना इस दृष्टि से अभिव्यक्त की गई है कि विधिपूर्ण साधनों द्वारा उसमें परिवर्तन या प्रतितोष अभिप्राप्त किया जा सके।

स्पष्टीकरण (2):—यह निर्णय करने में क्या कोई प्रदर्शन आक्षेपणीय है, खेल, मूकाभिनय या अन्य नाटक पर सम्पूर्ण रूप से विचार किया जाना चाहिए।

(2) "शासकीय राजपत्र" से राजपत्र, हिमाचल प्रदेश अभिप्रेत है।

(3) "सार्वजनिक स्थान" से ऐसा भवन या अहाता, या खुली वायु में कोई ऐसा स्थान और कोई ऐसा पंडाल जिसके पार्श्व बन्द नहीं है अभिप्रेत है जहां जनता को प्रदर्शन देखने के लिए प्रवेश दिया जाता है।

3. **आक्षेपणीय प्रदर्शनों को प्रतिषिद्ध करने की शक्ति.**—(1) जब कभी राज्य सरकार का समाधान हो जाए कि किसी सार्वजनिक स्थान में प्रदर्शित या प्रदर्शित किया ही जाने वाला कोई खेल, मूकाभिनय या अन्य नाटक आक्षेपणीय प्रदर्शन है, तो वह उस प्रदर्शन को आदेश द्वारा, उन आधारों का कथन करते हुए, जिन पर वह प्रदर्शन को आक्षेपणीय समझती है, प्रतिषिद्ध कर सकेगी।

(2) उप–धारा (1) के अधीन कोई आदेश तब तक पारित नहीं किया जाएगा जब तक आयोजक या प्रदर्शन का संचालन करने के लिए उत्तरदायी अन्य प्रधान व्यक्तियों या उस सार्वजनिक स्थान के स्वामी या अधिभोगी को, जहां ऐसा प्रदर्शन किए जाने का आशय है, यह कारण दर्शित करने का उपयुक्त अवसर प्रदान नहीं कर दिया जाता है कि उस प्रदर्शन को प्रतिषिद्ध क्यों नहीं किया जाना चाहिए।

(3) उप–धारा (1) के अधीन किया गया प्रत्येक आदेश शासकीय राजपत्र में प्रकाशित किया जाएगा।

(4) उप–धारा (1) के अधीन किया गया कोई आदेश उद्घोषणा द्वारा भी अधिसूचित किया जा सकेगा और उसकी एक लिखित या मुद्रित सूचना किसी ऐसे स्थान या स्थानों पर लगाई जा सकेगी जो आदेश की जानकारी उन व्यक्तियों को देने के लिए अनुकूलित हो जो ऐसे प्रतिषिद्ध प्रदर्शन में भाग लेने का आशय रखते हैं।

4. **आक्षेपणीय प्रदर्शनों को अस्थायी रूप से प्रतिषिद्ध करने की शक्ति.**—(1)जिला मजिस्ट्रेट, यदि उसकी यह राय है कि प्रदर्शित या प्रदर्शित किया ही जाने वाले किसी खेल, मूकाभिनय या अन्य नाटक से, जो धारा–2 में विनिर्दिष्ट स्वरूप का है, शांति भंग होने की सम्भावना है, ऐसी राय के आधारों का कथन करते हुए उसके प्रदर्शन को आदेश द्वारा प्रतिषिद्ध कर सकेगाः

परन्तु जिला मैजिस्ट्रेट ऐसे आदेश द्वारा प्रभावित व्यक्ति या पक्षकार द्वारा आवेदन किए जाने पर अपने आदेश का पुनर्विलोकन कर सकेगा।

(2) धारा 10 के अधीन अपील पर न्यायालय द्वारा दिए गए किसी आदेश के अधीन रहते हुए इस धारा के अधीन कोई आदेश उसके किए जाने की तारीख से दो मास तक प्रवृत्त रहेगाः

परन्तु जिला मैजिस्ट्रेट, यदि उसकी यह राय हो कि आदेश प्रवृत्त बना रहना चाहिए ऐसे और आदेश या आदेशों द्वारा, जैसे वह ठीक समझे, उपर्युक्त अवधि को दो मास से अनधिक ऐसी और अवधि या अवधियों तक बढ़ा सकेगा जो ऐसे आदेश या आदेशों में विनिर्दिष्ट की जाएं।

5. **प्रतिषेध के आदेश की तामीली.**—धारा 8 की उप–धारा (1) या धारा 4 की उप–धारा (1) या उप–धारा (2) के अधीन किए गए आदेश की एक प्रति इस प्रकार प्रतिषिद्ध प्रदर्शन के आयोजकों या संचालन के लिए उत्तरदायी अन्य प्रधान व्यक्तियों, या उसमें भाग लेने ही वाले किसी व्यक्ति पर, या ऐसे सार्वजनिक स्थान के स्वामी या अधिभोगी पर, जिसमें ऐसे प्रदर्शन का होना आशयित है, व्यक्तिगत रूप से या ऐसी अन्य रीति से जैसी धारा 13 के अधीन बनाए गए नियमों द्वारा विहित की जाए, तामील की जा सकेगी।

6. **आदेश की अवज्ञा करने के लिए शास्ति.**—कोई व्यक्ति जिस पर धारा 3 या धारा 4 में निर्दिष्ट आदेश की प्रति तामील की गई है और जो आदेश की अवज्ञा करते हुए कोई कार्य करेगा या जानबूझ कर करने को अनुज्ञा देगा, वह दोषसिद्धि पर, कारावास से, जिसकी अवधि तीन मास तक की हो सकेगी या जुर्माने से जो एक हजार रुपये तक का हो सकेगा या दोनों से दंडित किया जाएगा

7. **प्रतिषेध की अवज्ञा करने के लिए शास्ति.**—(1) कोई व्यक्ति, जो धारा 3 की उप–धारा (3) के अधीन आदेश के प्रकाशन के पश्चात् या उस अवधि के दौरान जब धारा 4 की उप–धारा (1) या उप–धारा (2) के अधीन किया गया आदेश प्रवृत्त है, उसके द्वारा प्रतिषिद्ध प्रदर्शन या किसी ऐसे प्रदर्शन जो सारतः वैसा ही हो जैसा इस प्रकार प्रतिषिद्ध प्रदर्शन है, को आयोजित करेगा या उसके संचालन के लिए होगा, या जो यह जानते हुए कि धारा 3 या धारा 4 के अधीन ऐसा आदेश प्रवृत्त है, उसमें भाग लेगा, वह दोषसिद्धि पर, कारावास से जिसकी अवधि तीन मास तक की हो सकेगी या जुर्माना से जो एक हजार रुपये तक का हो सकेगा या दोनों से दंडित किया जाएगा।

(2) कोई व्यक्ति, जो किसी सार्वजनिक स्थान का स्वामी या अधिभोगी है या उसका प्रयोग करता है, उसे धारा 3 या धारा 4 के अधीन प्रतिषिद्ध प्रदर्शन के लिए खोलेगा, रखेगा या उपयोग करेगा या उसे ऐसे किसी प्रदर्शन के लिए खोलने, रखने या उपयोग किए जाने की अनुज्ञा देगा, दोषसिद्धि पर, कारावास से जिसकी अवधि तीन मास तक की हो सकेगी या जुर्माने से जो एक हजार रुपए तक का हो सकेगा या दोनों से दंडित किया जाएगा।

8. **जानकारी मांगने की शक्ति.**—(1) किसी आशयित खेल, मूकाभिनय या अन्य नाटक के स्वरूप को अभिनिश्चित करने के प्रयोजन के लिए राज्य सरकार, या ऐसा अधिकारों जिसे वह इस निमित्त सशक्त करे, ऐसे खेल, मूकाभिनय या अन्य नाटक के आयोजकों, या संचालन के लिए उत्तरदायी अन्य प्रधान व्यक्तियों या उसमें भाग लेने ही वाले अन्य व्यक्तियों से या प्रदर्शित किए ही जाने वाले खेल मूकाभिनय या अन्य नाटक के रचयिता स्वत्वधारी या मुद्रक से या उस स्थान के जिसमें उसका प्रदर्शित किया जाना आशयित है स्वामी या अधिभोगी से ऐसी जानकारी प्रस्तुत करने के लिए अपेक्षा कर सकेगा जैसी राज्य सरकार या ऐसा अधिकारी आवश्यक समझता है।

(2) ऐसा प्रत्येक व्यक्ति जिससे ऐसी अपेक्षा की गई हो अपने सर्वोतम सामर्थ्य के अनुसार ऐसे आदेश में विनिर्दिष्ट समय के भीतर वह जानकारी देने के लिए आवद्ध होगा और उल्लंघन करने की दशा में यह समझा जाएगा कि उसने भारतीय दण्ड संहिता की धारा 176 के अधीन अपराध (1860 का केन्द्रीय अधिनियम सं० 45) किया है।

9. **नाटक आदि की प्रति या सार मांगने की शक्ति.**—(1) यदि राज्य सरकार या जिला मजिस्ट्रेट के पास यह विश्वास करने के कारण है कि कोई आक्षेपणीय नाट्य प्रदर्शन किया जाने ही वाला है, तो यथास्थिति, राज्य सरकार या जिला मजिस्ट्रेट आदेश द्वारा, यह निवेश कर सकेगा कि किसी क्षेत्र के भीतर किसी सार्वजनिक स्थान में कोई ऐसा नाटय प्रदर्शन तब तक नहीं किया जाएगा जब तक कि उस कृति की, यदि और जहां तक वह लिखित है, एक प्रति या उसके सार का, यदि और जहां तक वह मुकाभिनय है, कोई विवरण, प्रदर्शन किए जाने के सात दिन से अन्यून पूर्व, राज्य सरकार को या उपर्युक्त जिला मजिस्ट्रेट को नहीं दे दिया जाता है।

(2) उप–धारा (1) के अधीन किए गए किसी आदेश की एक प्रति उस सार्वजनिक स्थान के, जिसमें ऐसा प्रदर्शन किया जाना आशयित है, स्वामी या अधिभोगी पर तामील की जा सकेगी, और यदि उसके पश्चात् वह ऐसे आदेश की अवज्ञा करते हुए कोई कार्य करेगा या जान बूझकर करने की अनुज्ञा देगा तो वह दोषसिद्धि पर, कारावास से जिसकी अवधि तीन मास तक की हो सकेगी या जुर्माने से जो एक हजार रुपये तक का हो सकेगा या दोनो से दंडित किया जाएगा

10. **न्यायिक आयुक्त के न्यायालय में अपील.**—धारा 3 की उप–धारा (1) या धारा 4 की उप–धारा (1) या उप–धारा (2) के अधीन किए गए किसी आदेश से व्यथित कोई व्यक्ति धारा 3 की उप–धारा (3) के अधीन ऐसे आदेश के प्रकाशन से साठ दिन के भीतर, या यथास्थिति, उस तारीख से, जिसको धारा 4 की उपधारा (1) या उप–धारा (2) के अधीन आदेश किया गया है, साठ दिन के भीतर न्यायिक आयुक्त. हिमाचल प्रदेश को अपील कर सकेगा, और ऐसी अपील पर, वह उस आदेश की, जिसके विरुद्ध अपील को गई है, पुष्टि, फेर फार या उलटते हुए ऐसे आदेश पारित कर सकेगा जैसे वह ठीक समझे, और ऐसे पारिणामिक या आनुंषगिक आदेश पारित कर सकेगा जैसे आवश्यक हों।

11. **अन्य विधियों के अधीन अभियोजन की व्यावृत्ति.**—जहां किसी प्रदर्शन के सम्बन्ध में धारा 3 या 4 के अधीन कोई आदेश नहीं किया गया है, वहां इस अधिनियम की कोई बात भारतीय दण्ड संहिता या किसी अन्यविधि के अधीन किसी अभियोजन को बर्जित नहीं करेगा।

(1860 का केन्द्रीय अधिनियम सं0 45)

12. **सद्भावपूर्वक की गई कारवाई के लिए परिमाण.**—इस अधिनियम या इसके अधीन बनाए गए किसी नियम के अधीन सद्भाव–पूर्वक की गई या की जाने के लिए आशयित किसी बात के लिए किसी प्राधिकारी या अधिकारी के विरुद्ध कोई वाद, अभियोग या अन्य विधिक कार्यवाही संस्थित नहीं की जाएगी।

13. **नियम बनाने की शक्ति.**—(1) राज्य सरकार, शासकीय राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए नियम बना सकेगी।

(2) उप–धारा (1) के अधीन राज्य सरकार द्वारा बनाए गए सभी नियम, बनाए जाने के पश्चात् यथाशीघ्र हिमाचल प्रदेश विधान सभा के समक्ष रखे जाएंगे।

14. **1876 के केन्द्रीय अधिनियम सं0 19 का निरसन.**—नाट्य प्रदर्शन अधिनियम, 1876 (1876 का केन्द्रीय अधिनियम 19) जहां तक यह हिमाचल प्रदेश राज्य को लागू है, एतद्द्वारा निरसित किया जाता है।

15. **व्यावृत्ति.**—नाट्य प्रदर्शन अधिनियन, 1876 की धारा 14 द्वारा किया गया निरसनः—

(क) उक्त अधिनियम के पूर्व प्रवर्तन या इस के अधीन विधिवत की गई या सहन की गई किसी बात को; या

(ख) उक्त अधिनियम के अधीन जिस, प्रोद्भूत या उपगत किसी अधिकार, विशेषाधिकार, बाध्यता या दायित्व को; या

(ग) उक्त अधिनियम के विरुद्ध किए गए किसी अपराध के सम्बन्ध में उक्त किसी शास्ति, समपहरण या दण्ड को; या

(घ) उपर्युक्त किसी ऐसे अधिकार, विशेषाधिकार, बाध्यता, दायित्व, शास्ति, समपहरण या दण्ड के सम्बन्ध में किसी अन्वेषण, विधिक कार्यवाही या उपचार को,

प्रभावित नहीं करेगा और कोई ऐसा अन्वेषण, विधिक कार्यवाही या उपचार वैसे ही संस्थापित, चालू और प्रवृत्त किया जा सकेगा और कोई ऐसी शास्ति, समपहरण या दण्ड बैसे ही अधिरोपित किया जा सकेगा मानो उक्त अधिनियम निरसित नहीं किया गया हो।